

# Order Sheet [Contd]

Case No 320/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12.09.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त महेश कुशवाह की ओर से श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।</p> <p>सत्र प्रकरण क्रमांक 191/17 शा०पु० गोहद चौराहा वि० महेश प्राप्त।</p> <p>आपत्तिकर्ता दीपा की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश की।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त महेश कुशवाह की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस द्वारा विरोधियों से षड्यंत्र कर उसके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध गिरफ्तार लिया गया है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति है और घटना दिनांक को मजदूरी करने बाहर चला गया था। मृतिका घटना दिनांक को अपने घर के आंगन में सोई थी तब पड़ोस की दीवाल से एक बड़ा मृतिका के सिर पर गिर गया जिससे मृतिका को चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई है। आवेदक के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और वह लम्बे समय से अभिरक्षा में हैं। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आपत्तिकर्ता दीपा की ओर से लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि फरियादी व उसके परिवार को आरोपी की ओर से धमकी जान से मारने के संबंध में दी जा रही है तथा राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह फरियादी व उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना कारित कर सकता है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार कर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त के अवयस्क बच्चे हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और आवेदक ने अपराध नहीं किया है।</p>	

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अपनी पत्नी को पत्थर से सिर में चोट पहुँचाकर हत्या कारित करने का आरोप है। घटना में आवेदक/अभियुक्त के बच्चे भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं। अभियुक्त पर हत्या के गंभीर आरोप हैं एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल सत्र प्रकरण 191/17 में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
ए0एस0जे0 गोहद